

2025/417

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

चुनी दास

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या :- 366/2025

-::आदेश::-

दिनांक:-24.7.2025

प्रार्थी चुनी दास पुत्र श्री प्रताप दास जाति साद निवासी ओलवी तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम ओलवी की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 216 के खसरा नंबर 98 में दर्ज अशुद्ध नाम चुन्नीलाल पुत्र प्रतापदास जाति साद निवासी ओलवी का शुद्ध नाम चुनी दास पुत्र श्री प्रताप दास जाति साद निवासी ओलवी की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,

बिलाडा जिला जोधपुर